कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर

प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 18.08.2026

जनपद फतेहपुर पुलिस की बड़ी सफलता : थाना बकेवर एवं क्राइम डिटेक्शन की संयुक्त टीम की पुलिस मुठभेड़ में चोरी करने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश, 01 शातिर अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल एवं 02 अभियुक्त गिरफ्तार; कब्जे से अवैध तमंचे, कारतूस, ₹12,500/- नगद एवं बकरी चोरी की घटना कारित करने में प्रयुक्त बोलेरो बरामद। उत्कृष्ट पुलिस कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक फतेहपुर द्वारा गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को ₹25,000/- के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक फतेहपुर श्रीमान् अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन एवं श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी बिन्दकी के कुशल नेतृत्व में थाना बकेवर एवं क्राइम डिटेक्शन पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा विभिन्न चोरी की घटनाओं में पंजीकृत अभियोग क्रमशः मु0अ0सं0 101/2026 धारा 331(4)/305 बीएनएस, थाना बकेवर, जनपद फतेहपुर, मु0अ0सं0 72/2026 धारा 331(4)/305 बीएनएस, थाना औंग, जनपद फतेहपुर एवं मु0अ0सं0 75/2026 धारा 303 बीएनएस, थाना औंग, जनपद फतेहपुर से संबंधित अभियोगों में प्रकाश में आए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिनांक 17/18.08.2026 की रात्रि को संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग एवं अपराधियों की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में थाना बकेवर पुलिस टीम बैठका चौराहे पर मौजूद थी, जहां क्राइम डिटेक्शन टीम भी पहुंची। तभी मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि जनपद फतेहपुर व आसपास के जनपदों में तथा कुछ दिन पूर्व थाना क्षेत्र में सफेद बोलेरो गाड़ी से बकरी चोरी की जो घटना हुई है, उससे संबंधित चोर आज पुनः चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए कानपुर की तरफ से थाना क्षेत्र के कोसा पुल होते हुए उसी सफेद रंग की बोलेरो गाड़ी से आने वाले हैं। मुखबिर की सूचना पर थाना बकेवर एवं क्राइम डिटेक्शन पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए देवमई नहर पुलिया के रास्ते पर पहुंचकर संदिग्ध अपराधियों की घेराबंदी की गई। कुछ समय पश्चात एक सफेद रंग की बोलेरो पर सवार तीन संदिग्ध व्यक्ति पुलिस टीम की ओर आते दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा उन्हें रुकने का इशारा किया गया तो बोलेरो एकाएक रुक गई। गाड़ी मोड़ने की जगह न पाकर बोलेरो गाड़ी में बैठे बदमाश गाड़ी से उतरकर मौके पर बोलेरो गाड़ी एवं नहर के किनारे आड़ लेकर छिप गए। अपने आपको पुलिस टीम से घिरा देखकर बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी को जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी

गई। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों को आत्मसमर्पण करने हेतु बार-बार चेतावनी दी गई, किंतु अभियुक्तों द्वारा पुनः पुलिस पार्टी को लक्ष्य कर फायर किया गया। इस पर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त रफीक पुत्र सफीक निवासी कछेवरा थाना जहानाबाद, जनपद फतेहपुर, उम्र करीब 45 वर्ष के बाएं पैर की पिंडली के नीचे गोली लगने से वह घायल हो गया। घायल अभियुक्त के दो साथी मौके से भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम क्रमशः नसीम पुत्र सत्तार उर्फ भुल्ली निवासी तेजानगर थाना जहानाबाद, जनपद फतेहपुर, उम्र करीब 25 वर्ष एवं जावेद पुत्र नफीस निवासी तेजानगर थाना जहानाबाद, जनपद फतेहपुर, उम्र करीब 22 वर्ष हैं। घायल अभियुक्त रफीक पुत्र सफीक को उपचार हेतु पुलिस अभिरक्षा में सीएचसी जहानाबाद भेजा गया। घटनास्थल का निरीक्षण एवं आवश्यक साक्ष्य संकलन फील्ड यूनिट टीम द्वारा किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों एवं घटनास्थल से 02 अदद तमंचा .315 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस .315 बोर, 03 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर, घटना में प्रयुक्त 01 अदद सफेद रंग की बोलेरो वाहन संख्या UP71BA0992, बकरी चोरी से प्राप्त बिक्री की धनराशि में से शेष ₹12,500/- नगद, घटना में प्रयुक्त 01 अदद लोहे की रॉड तथा जामा तलाशी से कुल 04 मोबाइल फोन बरामद हुए। अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी पर किए गए जानलेवा हमले के संबंध में थाना बकेवर, जनपद फतेहपुर पर मु0अ0सं0 108/2026 धारा 109(1) बीएनएस एवं 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। साथ ही बरामद चोरी के माल एवं नगदी के संबंध में संबंधित अभियोगों में धारा 317(2)/317(4)/3(5) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगण रफीक पुत्र सफीक, नसीम पुत्र सत्तार एवं जावेद पुत्र नफीस द्वारा बताया गया कि वे तीनों एक संगठित गिरोह के रूप में बकरी चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। ईंट ढुलाई के दौरान वे उन स्थानों को चिन्हित करते हैं, जहां बकरियां बंधी होती हैं तथा रात्रि में बोलेरो वाहन से पहुंचकर बकरियां चोरी कर उन्हें बेच देते हैं। चोरी से प्राप्त धनराशि को आपस में बांट लेते हैं तथा बोलेरो वाहन के खर्च के लिए भी धनराशि अलग रखते हैं। अभियुक्तों ने बताया कि उन्होंने इसी बोलेरो वाहन से ग्राम खरौली, थाना औंग से 03 बकरी, ग्राम डारी बुजुर्ग, थाना बकेवर से 05 बकरी तथा इससे पूर्व ग्राम मिराई, थाना औंग से 03 बकरी चोरी की थीं, जिनके संबंध में थाना औंग एवं थाना बकेवर पर उक्त अभियोग पंजीकृत हैं। चोरी की गई बकरियों को बेचने से प्राप्त धनराशि में से खर्च के बाद बची ₹12,500/- नगद बरामद हुई। अभियुक्तों ने बताया कि बरामद बोलेरो वाहन संख्या **UP71BA0992** का प्रयोग चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के लिए करते थे। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

1. 02 अदद अवैध तमन्चा .315 बोर
2. 02 खोखा कारतूस 315 बोर
2. 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
3. एक अदद बोलेरो UP71BA0992 (घटना में प्रयुक्त)

4. 01 अदद लोहे की राड (जानवर/बकरी चोरी करते समय बाड़े में लगे ताले को तोडने के लिए)

5. ₹12500/- नगद

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

1.रफीक पुत्र सफीक अहमद साकिन कछेवरा थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर उम्र करीब 45 वर्ष। **(घायल)**

क्र0सं0	थाना	मु0अ0स0	धारा
1	जाफरगंज, फतेहपुर	106/2014	380 भादवि
2	जहानाबाद, फतेहपुर	117/2024	303(2), 317(2), 317(4) बीएनएस
3	खखरेरू, फतेहपुर	094/2025	303(2), 317(2) बीएनएस
4	महराजपुर, कानपुर नगर	287/2025	303(2), 317(2) बीएनएस
5	नरवल, कानपुर नगर	058/2025	303(2) बीएनएस
6	सजेती, कानपुर नगर	286/2022	60, 72 आबकारी अधि0
7	गंगाघाट, उन्नाव	481/2023	379 भादवि
8	बिन्दकी, फतेहपुर	209/2024	3/25 आर्म्स एक्ट व 303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस
9	बिन्दकी, फतेहपुर	331/2025	2/3 गैगेस्टर एक्ट
10	ललौली, फतेहपुर	091/2019	3/25 आर्म्स एक्ट
11	थरियाँव, फतेहपुर	177/2024	105/303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस
12	बकेवर, फतेहपुर	101/2026	331(4)/305 बीएनएस
13	औंग, फतेहपुर	72/2026	331(4)/305 बीएनएस
14	औंग, फतेहपुर	75/2026	303 बीएनएस
15	बकेवर, फतेहपुर	108/2026	109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट

2. जावेद पुत्र नफीस साकिन तेजानगर थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर उम्र करीब 22 वर्ष।

क्र0सं0	थाना	मु0अ0स0	धारा
1	खागा, फतेहपुर	266/2023	379, 411 भादवि
2	औंग, फतेहपुर	72/2026	331(4)/305 बीएनएस
3	औंग, फतेहपुर	75/2026	303 बीएनएस
4	बकेवर, फतेहपुर	108/2026	109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट

03.नसीम पुत्र सत्तार साकिन तेजानगर थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर उम्र करीब 25 वर्ष

1	बिन्दकी,फतेहपुर	408/2022	307 भादवि
2	महाराजपुर,कानपुर नगर	287/2025	303(2), 317(2) बीएनएस
3	नरवल, कानपुर नगर	058/2025	303(2) बीएनएस
4	खखरेरू,फतेहपुर	094/2025	303(2), 317(2) बीएनएस
5	औंग,फतेहपुर	72/2026	331(4)/305 बीएनएस
6	औंग,फतेहपुर	75/2026	303 बीएनएस
7	बकेवर,फतेहपुर	108/2026	109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

A.थाना चांदपुर पुलिस टीम-

1. श्री दिवाकर सिंह, थानाध्यक्ष बकेवर जनपद फतेहपुर
2. हे0का0 मुकेश कुमार सिंह
3. का0 ओमनारायण
4. का0 जयपाल सिंह
5. रि0का0 मृत्युन्जय यादव
6. रि0का0 शैलेन्द्र यादव
7. रि0का0 पंकज यादव

B. क्राइम डिटेक्शन टीम-

1. उ0नि0 प्रवीण कुमार यादव
2. हे0का0 अतुल त्रिपाठी
3. का0 प्रमोद कुमार
4. का0 अमन सिंह
5.का0 राहुल

सोशल मीडिया सेल
जनपद फतेहपुर